

डा0 भीम राव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(32)

दिनांक 07.01.2013 को अपरान्ह 3.00 बजे वाहन नीलामी कमेटी सम्भागीय निरीक्षक(प्रावि0) मोटर वाहन विभाग, आगरा की दिनांक 17.10.2012 को विश्वविद्यालय के 7 वाहनों के निष्प्रयोज्य किये जाने हेतु की गई संस्तुति को स्वीकार करते हुए कुलपति जी द्वारा उक्त 7 वाहनों को निष्प्रयोज्य करने के आदेश दिनांक 18.12.2012 से अवगत हुई और निष्प्रयोज्य वाहनों के नीलामी हेतु निर्धारित निम्नलिखित नियम तथा शर्तों को अवलोकित कर समिति ने अपनी संस्तुति की।

वाहनों की नीलामी से सम्बन्धित नियम तथा शर्तें

- नीलामी की जाने वाली गाड़ियों/वाहनों का विवरण, नीलामी की तिथि, समय तथा स्थान का विवरण और वाहन का निर्धारित किया गया मूल्य निम्नांकित है।

क्रम	वाहन	माडल	न्यूनतम मूल्य	निष्प्रयोज्य घोषित	अभ्युक्ति
1	U.P.-80 D9103 लोडर तिपहियाटेम्पो, पैट्रोल		रु0 4500.00	17.10.2012	
2	U.P.-80 F 6921 अम्बेसडर कार पैट्रोल	1994	रु0 18000.00	17.10.2012	
3	USA-80 41 बस डीजल	1971	रु0 125000.00	17.10.2012	
4	U.P.-80 W 6363 अम्बेसडर कार पैट्रोल		रु0 32000.00	17.10.2012	
5	U.P.-80 T 0342 अम्बेसडर कार डीजल	1999	रु0 48000.00	17.10.2012	
6	U.P.-80 B 9054 स्वराजमाजदा बसडीजल	1990	रु0 95000.00	17.10.2012	
7	U.P.-80 B 9053 स्वराजमाजदा बसडीजल	1990	रु0 92000.00	17.10.2012	

- नीलामी की तिथि 17.01.2013 अपरान्ह 1.00 बजे दिन बृहस्पतवार/गुरुवार
- स्थान डा0 भीम राव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, पालीवाल पार्क केम्पस, आगरा।
- नीलामी की बोली स्वीकार करना सक्षम प्राधिकारी द्वारा तथा कतिपय मामलों में सरकार द्वारा दिये जाने वाली स्वीकृति के अधीन होगा जिसे नीलामी के समय ही स्पष्ट कर दिया जायेगा
(सक्षम अधिकारी द्वारा पूर्व में ऐसी वस्तुओं का अपलिफ्ट(बोली आरम्भ करने की सीमा) तथा आरक्षित (रिजर्व) मूल्यों को तय कर घोषित करने की व्यवस्था की जायेगी।)
- प्रत्येक बोली लगाने वाला व्यक्ति सिर्फ स्वयं के लिए ही बोली लगा सकेगा तथा उसके द्वारा लगाई गयी बोली की धनराशि में किसी भी दशा में किसी कमी पर विचार नहीं किया जायेगा।
- कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की ओर से नीलामी पर बोली लगाने के लिए तब तक अधिकृत नहीं होगा जब तक कि उसने ऐसे व्यक्ति से जो नीलामी पर उपस्थित है लिखित प्राधिकार नहीं प्राप्त कर लिया हो।
- जहाँ जैसे हैं की शर्त पर वाहन का बिक्रय किया जायेगा। न्यूनतम बोली/कीमत को पूर्व में घोषित कर दिया जायेगा। इसके लिए बोली पंजिका (विड रजिस्टर) फार्म पर बनाया जायेगा। प्रत्येक सामग्री या लाट के लिए अलग-अलग पृष्ठों पर विड लाये जायेंगे। कोई भी गारण्टी या वारण्टी नहीं होगी तथा कोई शिकायत स्वीकार नहीं होगी। बोली बोलने वाले अथ्यर्थी वाहनों को देखकर समस्त जानकारी पूर्व में ही प्राप्त कर सकेंगे।
- परिसर में रखे गये या विज्ञापित किये गये किसी सामान को नीलामी संचालित करने वाला अधिकारी बिना कारण बताये नीलामी से रोकने के लिए अधिकृत होगा।
- बोली के अन्तम होते ही मूल्य का 25 प्रतिशत आर्नेस्ट मनी के रूप में तत्काल नगद जमा करा लिया जायेगा इस हेतु चैक, बैंक ड्राफ्ट या हुण्डी स्वीकार नहीं किये जायेंगे। नीलामी